उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-181/2019/2465/92-2-2019-69(जॉच)/2017,
लखनऊ :: दिनांक:: 26 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-4557 एवं पैकेज संख्या-4558 के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित ग्रेडिंग एवं मोटाई के अनुरूप जी0एस0बी0 और डब्लू0बी0एम0 के कार्यों तथा समुचित कुटाई नहीं कराने, ए0टी0आर0 प्रेषित किये बिना दोनो पैकेजों के अधोमानक कार्य कराकर उसका भुगतान कराने, अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-झांसी को प्रकरण से विरत रखते हुए निष्ठापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन न करने, अत्यन्त महत्वूपर्ण प्रकरण में उदासीनता बरतने, उच्चादेशों के अनुपालन में विलम्ब करने आदि अनियमितताओं तथा उ0प्र0 शासन तथा पी0एम0जी0एस0वाई0 के दिशा-निर्देशों/शासनादेशों/वित्तीय नियमों एवं उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 का परिपालन सुनिश्चित न करने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-968/92-2-2018-69(जॉच)/2017, दिनांक 23.04.2018 द्वारा श्री रिजवान साबिर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर सम्प्रति प्रखण्ड-ललितपुर को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर ने अपने पत्र दिनांक 18.01.2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल-3 आरोपों में से सभी आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 27.05.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी श्री रिजवान साबिर खान के पत्र दिनांक 26.09.2019 द्वारा अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध कराया गया। अधोमानक कार्य के भुगतान/शासकीय धनराशि के अपव्यय के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 07.01.2019 एवं पत्र दिनांक 28.02.2019 द्वारा जांच अधिकारी से शासकीय क्षति निहित होने व गबन की गयी धनराशि के संबंध में आख्या मांगी गयी, जो जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 18.02.2019 एवं पत्र दिनांक 27.04.2019 द्वारा आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन तथा जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी शासकीय क्षति निहित होने की आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री रिजवान साबिर खान के विरूद्ध प्रमाणित कुल-3 आरोपो को जांच अधिकारी ने शासकीय क्षति/गबन की श्रेणी में नही होना पाया है, किन्तु जांच अधिकारी ने श्री साबिर को उक्त कार्यों के संबंध में तत्समय की गयी लापरवाही एवं उदासीनता हेतु उत्तरदायी पाया गया है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-968/92-2-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2018-69(जॉच)/2017, दिनांक 23.04.2018 द्वारा श्री रिजवान साबिर खान, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही मे उन्हें **"परिनिन्दा"** का दण्ड देते हुए समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-181/2019/2465(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर ।

3- श्री रिजवान साबिर खान, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर सम्प्रति प्रखण्ड महोबा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।